



UPBL010023192026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलिया

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-937 / 2026

1. नीतेश पासवान उर्फ नितिश पुत्र प्रभुनाथ पासवान
2. साधना पासवान पुत्री रामझकबाल
3. प्रभुनाथ पासवान पुत्र राजबली पासवान

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

दिनांक-08.06.2026

आज यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पेश हुआ। उभय पक्ष उपस्थित है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 10ख प्रस्तुत किया गया है तथा उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल न दिये जाने की याचना की गयी।

तदनुसार प्रार्थना पत्र 10ख स्वीकार किया जाता है।

अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र 3क बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

दिनांक-08.06.2026**सत्र न्यायाधीश,
बलिया।**